TRIBUNE, Chandigarh, 13.11.2022
Page No. 16, Size:(9.96)cms X (26.89)cms.

FILE

Can't blame farmers for field fires, states responsible: NHRC

TRIBUNE NEWS SERVICE

Pb, Hry, Delhi, UP Chief Secys asked to appear on Nov 18

NEW DELHI, NOVEMBER 12

The National Human Rights Commission (NHRC) has asked the Chief Secretaries of Punjab, Haryana, Delhi and Uttar Pradesh to appear before it on November 18 in connection with unabated air pollution in the Delhi-NCR.

The NHRC, in a communique, said that it heard the response of the Chief Secretaries of Delhi and the three neighbouring states on November 10 and had again asked them to appear before it on November 18.

The commission had on Thursday said the farmers were burning stubble "under compulsion" and it was due to the "failure" of the four state governments that farm fires were happening. It said the state governments had to provide farmers harvest machines to get rid of stubble. "The governments have failed to provide an adequate number of machines and adopt other measures. Consequently, farmers are forced to burn stubble, leading to pollution," it said.

PROVIDE MACHINES

The governments have failed to provide an adequate number of machines and adopt other measures. Consequently, farmers are forced to burn stubble, leading to pollution. NHRC

The NHRC said none of the states could, therefore, blame the farmers for stubble-burning. "Instead, it is due to the failure of all four state governments that the stubble-burning is happening in Delhi, Punjab, Haryana and UP, causing enormous air pollution," it said.

During the hearing, the Delhi Government informed the commission that of the 5,000 acres of farmland in its territory, bio-decomposer was sprinkled free of cost on about 2,368 acres where paddy was grown till October 11. It provided details of mobile and static anti-smog guns deployed on various roads and on high-rise buildings. The Haryana Government listed the hotspots identified in villages and the steps taken to remove these. Also, it informed about the steps taken for stopping construction activities.

NHRC summons chief secretaries of Delhi, UP, Haryana & Punjab

Swati.Mathur@timesgroup.com

New Delhi: The National Human Rights Commission has summoned the chief secretaries of Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Punjab to appear before it on November 18, holding them accountable for stubble burning in the National Capital Region.

Observing that farmers have been resorting to stubble burning "under compulsion", the NHRC said that it is due to the "failure" of the four state governments that it is happening, resulting in the poor quality of air in the region. Earlier, alarmed over the rise in pollution in Delhi-NCR, the NHRC had summoned the chief secretaries of the four states to appear before it on November 10.

The Commission, after considering the responses of the states concerned and the government of Delhi, and the deliberations thereon, is of the opinion that the "farmers are burning stubble under compulsion", the NHRC said in a statement.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

ORISSA POST, Bhubaneswar, 13.11.2022
Page No. 3, Size:(21.10)cms X (13.72)cms.

NHRC notice to state over botched surgery

POST NEWS NETWORK

Bhubaneswar, Nov 12: The National Human Rights Commission (NHRC) has served a show cause notice on the state government in connection with a botched surgery at a state-run hospital in Bhadrak in 2021.

The Chief Secretary is required to show cause within four weeks as to why monetary compensation should not be awarded in favour of the relative of the patient.

The commission's move came while hearing a plea filed by rights activist Dilip Kumar Das.

Das had informed the commission that Ketriprava Barik suffered intestinal injury during sterilization surgery at Dhamnagar Community Health Centre (CHC) in Bhadrak July 17, 2021.

Taking cognizance, the commission sought report from the Bhadrak Chief District Medical Officer (CDMO) in connection with the incident.

Quoting the report of the victim's examination at SCB Medical College and Hospital in Cuttack, the CDMO confirmed that the lady suffered intestinal injury during sterilization process at Dhamnagar CHC July 17, 2021. Under Section 18(a) of the Protection of Human Rights Act, 1993, the commission served the notice to the state government asking it to show reason as to why the NHRC should not recommend monetary relief of Rs 50,000 for the victim in addition to actual expenses incurred by the her during the treatment.

- The Chief Secretary has been asked to show cause within four weeks as to why monetary compensation should not be awarded in favour of the relative of the patient
- The commission's move came while hearing a plea filed by rights activist Dilip Kumar Das

KALAHANDI DM SUMMONED

BHUBANESWAR: The National Human Rights Commission (NHRC) has summoned the District Magistrate (DM) and Collector of Kalahandi to be present in person before it in New Delhi January 3, 2023 in connection with a case of stray dog menace in the district.

However, the official will be exempted from personal appearance if the requisite report is submitted before the commission by December 27, 2022, said the NHRC.

The NHRC move came while hearing a plea filed by rights activist Dilip Kumar Das who highlighted the stray dog menace in Kalahandi. In his petition, Das informed the commission that the minor son of Laxmidhar Dharua, a resident of Kokasara in Kalahandi district, was mauled to death by stray dogs at his village July 24, 2020. The rights activist urged the commission to direct the district administration for ensuring adequate compensation to the next of the kin of the deceased. Das also urged the NHRC to direct the Kalahandi administration to initiate measures in order to check stray dog menace in the district.

Taking cognizance, the NHRC asked the Kalahandi DM to carry out a probe in connection with the incident and submit a report September 8, 2020. The district administration, however, did not revert despite several reminders from the commission, it was learnt.

Irked over the district administration's callousness, the NHRC, exercising its power u/s 13(a) of the Protection of the Human Rights Act, 1993, summoned the Kalahandi DM to appear before it in person January 3, 2023 and produce the requisite reports.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
HINDUSTAN TIMES, Chandigarh, 13.11.2022
Page No. 2, Size:(17.87)cms X (20.99)cms.

NHRC says farmers are 'forced' to burn stubble, blames govts of 4 states

HT Correspondent
letterschd@hindustantimes.com

CHANDIGARH: Farmers of Haryana, Punjab, Delhi and Uttar Pradesh are 'forced' to burn stubble as the state governments have failed to provide adequate machines and implement measures to help them, the National Human Rights Commission (NHRC) has said.

The human rights watchdog in a statement said that chief secretaries of the four states were heard on November 10 after the commission took suo motu cognisance of unabated air pollution in Delhi and the national capital region.

"The state governments have to provide harvest machines to get rid of stubble but they have failed to provide adequate number of machines and other measures. As a result, farmers are forced to burn the stubbles, causing pollution," the commission said after considering the responses of the concerned states and the Delhi government.

It further said that none of the states can blame the farmers for stubble burning. Instead, it is due to the failure of all the four state governments that the stubble burning is happening in Delhi, Punjab, Haryana, and UP, causing enormous pollutants in the air.

THE COMMISSION HAS ASKED HARYANA, PUNJAB, UTTAR PRADESH AND DELHI TO FURNISH DETAILS OF STEPS TAKEN TO CHECK THE STUBBLE FIRES

The commission has asked the concerned chief secretaries to remain present again, either in person or hybrid mode, on November 18 for the next hearing in the matter and submit their response within four days positively on the points raised by the commission.

The commission has asked the Haryana government about the details of area covered for bio-degrading and number of hotspots identified in the villages, steps taken to stop construction activities and details of challans.

The NHRC has asked the Punjab government to inform reason for the shortfall in the purchase of the crop residue management machines, number of machines reserved for panchayats and cooperatives and poor farmers.

It has also sought details of bio-decomposers used and date-wise fire incidents from last year till date.

The NHRC has asked the Delhi government to apprise about the steps taken to control open burning.

"Out of 5,000 acres of farmland in Delhi, bio-decomposer was sprinkled free of cost by the Delhi government in 2368.5 acres of paddy growing area only till November 7. Reasons for not sprinkling it in the remaining area and by what time the same will be achieved be also furnished," the NHRC has asked.

It has also sought details from the Delhi government of mobile and static anti-smog guns deployed on various roads, with date and places and on high rise buildings along with area-wise details of surviving trees which were planted, number of illegal industries running and closed.

HITAVADA, Nagpur, 13.11.2022
Page No. 4, Size:(19.90)cms X (14.05)cms.

Delhi-NCR pollution: Stubble burning happening due to failure of four State Govts, says NHRC

NEW DELHI, Nov 12 (PTI)

AFTER hearing the response of chief secretaries of Delhi and three neighbouring States on the pollution issue, the NHRC on Saturday said farmers cannot be blamed for the situation as they are forced to burn stubble due to the "failure" of the four State Governments.

Alarmed over the rise in pollution in Delhi-NCR, the National Human Rights Commission (NHRC) had recently asked the Chief Secretaries of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Delhi to appear before it on November 10 to discuss the matter.

The Commission has now raised several queries to the Governments, while asking the Chief Secretaries concerned to submit their response or affidavits "within four days positively" and to remain present again either in person or hybrid mode on November 18 for the next hearing on the matter.

The Commission after considering the responses of the States concerned and the Government of Delhi, and the deliberations thereon, is of the opinion that the "farmers are burning stubble under compulsion," the NHRC said in a statement on Saturday.

"The State Governments have to provide harvest machines to get rid of the stubble but they have failed to provide an adequate number of requisite machines and other measures; as a result, farmers are forced to burn the stubble, causing pollution.

"Therefore, none of the States can blame the farmers for stubble burning; instead, it is due to the failure of all four State Governments that the stubble burning is happening in the States of Delhi, Punjab, Haryana, and UP, causing enormous pollutants in the air," it said.

Delhi's air quality on Saturday remained in the 'very poor' category with the overall Air Quality Index (AQI) recorded at 311 at 9 am, CPCB data showed.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DECCAN CHRONICLE, Chennai, 13.11.2022
Page No. 7, Size:(20.54)cms X (15.85)cms.

Stubble burning happening due to failure of 4 state govts, says NHRC

New Delhi, Nov. 12: After hearing the response of chief secretaries of Delhi and three neighbouring states on the pollution issue, the NHRC on Saturday said farmers cannot be blamed for the situation as they are forced to burn stubble due to the "failure" of the four state governments. Alarmed over the rise in pollution in Delhi-NCR, the National Human Rights Commission (NHRC) had recently asked the chief secretaries of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Delhi to appear before it on November 10 to discuss the matter.

The porters wait for passengers at the New Delhi Railway Station amid smog on Saturday. — PTI

The Commission has now raised several queries to the governments, while asking the chief secretaries concerned to submit their response or affidavits "within four days positively" and to remain present again either in person or hybrid mode on November 18 for the next hearing on the matter.

The Commission after considering the responses of the states concerned and the government of Delhi, and the deliberations thereon, is of the opinion that the "farmers are burning stubble under compulsion," the NHRC said in a statement on Saturday.

"The state governments have to provide harvest machines to get rid of the stubble but they have failed to provide an adequate number of requisite machines and other measures; as a result, farmers are forced to burn the stubble, causing pollution.

"Therefore, none of the states can blame the farmers for stubble burning; instead, it is due to the failure of all four state Governments that the stubble burning is happening in the states of Delhi, Punjab, Haryana, and UP, causing enormous pollutants in the air," it said.

Delhi's air quality on Saturday remained in the 'very poor' category with the overall Air Quality Index (AQI) recorded at 311 at 9 am, Central Pollution Control Board (CPCB) data showed.

The rights panel has asked the Delhi government to furnish details on several matters, including steps taken to control open burning, mechanical road sweeper machines, and mobile and static anti-smog guns deployed on various roads, with the date and places, and placed on high-rise buildings. — PTI

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

PIONEER, Bhubaneswar, 13.11.2022
Page No. 2, Size:(8.53)cms X (12.46)cms.

Electrocution of 3 tribal women

NHRC seeks ATR from Energy Secy

PNS ■ BHUBANESWAR

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought Action-Taken Reports (ATRs) from the Odisha Energy Department Secretary over the electrocution of three tribal women of Keonjhar district.

The NHRC passed the direction taking cognisance of a petition filed by rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy. The commission asked the authorities to submit the ATRs within six weeks.

Tripathy in his petition stated that on October22, 2022, three women, Kathi Juanga (62), her daughter-in-law Nirodhi Juanga (45) and Menjari Juanga (30), came in contact with a snapped electric wire in a jungle near their village Tangiri Juangsahi in the Telkoi area when they had gone to graze their goats.

Tripathy has alleged that the incident occurred because of the negligence of the Energy Department. He requested the commission for an impartial inquiry of the mishap, action against errant officials for prevention of such incidents in future and payment of compensation to the family members of the deceased women.

PIONEER, Bhubaneswar, 13.11.2022
Page No. 3, Size:(29.95)cms X (17.44)cms.

Dalit rights issues: Multi-edition Odia dailies a hope

SITAKANTA TRIPATHY

It has been argued that decentralisation of media has been successful in covering grassroots issues and bringing them to limelight. Due to more illiteracy and poverty among the marginalised communities, the use of print media is less. On the other hand, the traditional media is not much used in mainstream societies. So, there is a chance to bypass Dalit issues in different media in different ways.

Most of the times such grassroots media coverage focuses on the functions, festivals and other secondary aspects of the local news instead of the issues concerned with the local communities and specifically of the deprived and marginalised people. Once the issues are politicised, they are getting more space and coverage afterwards.

Instead of finding out the roots of failure of various plans and programmes of the Government, news items give the general idea of 'corruption hinders development'. As an important part of democratic society, media has to channelize the human rights issues and development news in a proper way. Out of many dimensions of human rights, Dalit human right is considered as one of the important aspects. As the Dalit communities were historically deprived of their basic rights, the constitutional experts formulated many mandates and provisions in the Constitution for the protection and promotion of their rights. Despite being a signatory to the United Nations Declaration on Human Rights 1948, India took forty five years to establish National Human Rights Commission (NHRC). Prior to that for the marginalised people, the National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Commission was established by 65th Constitution amendment Act 1990. By looking at the sensitivity of scheduled caste and tribes issues, the commission was divided into two separate commissions in the year 2004, upon implementation of the provision of the Constitution (89th) Amendment Act 2003. Only declarations, constitutional mandates and formation of commissions will be rhetoric for the empowerment of Dalits until and unless it is reflected in both paper and action.

Media as the eye opener of a functional democracy plays an important role in describing violations of Dalit rights in different ways at different levels. The different redressal mechanisms for such violations, development of self and community consciousness about atrocities on Dalits are also in other dimension. It is clear that most of the media houses are owned by businessmen and politicians who generally belong to upper castes. So it puts so many questions before the human rights activists and organisations regarding their capacity to handle such types of issues in a proper manner. In this connection if we will compare the national dailies with vernacular dailies regarding their capacity to address the Dalit rights issues, it will be more appropriate to choose the latter one. Due to decentralisation of editions, increasing literacy rate, grassroots touch from language and from coverage point of view, the vernacular dailies have expanded their circulations. While reflecting the human rights issues the newspapers do not follow the same principles. One Sub Inspector of Police of Dhauli Police station in Bhubaneswar was suspended for brutally beating a Dalit. It was covered in the local editions only. Some of the news get space in front page in one news paper whereas in others it may not get the same importance and space. The political news got more attention than the social issues particularly of the Dalits. Some of the human rights issues are generic like child labour, migrated casual labourers and trafficking problem connected with the marginal communities. Most of such issues are published in the forms of story/ essay/ feature which are unable to provide factual data. There are instances where the concerned departments take actions once they are published in the form of news. In this context humanization of issues are important instead of making them sensational. The meetings, trainings and workshops are mostly organised by different civil societies for the empowerment of the marginalised. Such stories are published in the news format highlighting the place, time, the resource persons and their speeches instead the objectives and outcomes of such programmes. So the promotion and protection of Dalit rights through different awareness programmes do not fulfill the desired objectives or reach the target audience.

The initiatives to promote citizen journalists have been started by most of the newspapers. However, the publication of citizen journalists' news is very limited and most of them focus on development news items instead of any specific rights. There are special pages for science, culture, women, literature, medicine etc but none of the newspapers publishes a separate page for the promotion and protection of the human rights and specifically Dalit rights.

Dalit rights leaders and organisations were lobbying with the Government to take appropriate actions against the violators of rights on the basis of reported news. In Narsinghpur area of Cuttack district, a person was publicly tonsured and fined Rs 10,000 for taking food with a Dalit family. This issue was sorted out by the intervention of both concerned authorities and activists. However, such an incident didn't find much coverage as it should.

NHRC seeks report on electrocution of three PVTG women

STATESMAN NEWS SERVICE
BHUBANESWAR, 12 NOVEMBER:

The NHRC has sought an action taken report from the principal secretary of energy department over the electrocution death of three tribal women from the particularly vulnerable tribal group (PVTG) in Keonjhar district of Odisha.

The apex rights panel passed the order on Friday and called for ATR within six weeks on a petition filed by rights activist and Supreme Court lawyer Radhakanta Tripathy.

Three women from the primitive Juanga tribe had come in contact with live electric wires when they went inside a jungle near their Tangiri Juangsahi village to graze their goats on 22 October.

The petition sought for the rehabilitation of the deceased PVTG Juang families, impartial inquiry, stringent action against the energy department and adequate compensation to the next of kin of the deceased tribal women.

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Chandigarh, 13.11.2022

Page No. 1, Size:(13.77)cms X (4.78)cms.

पराली जलने के लिए किसान नहीं, राज्य जिम्मेदार : एनएचआरसी

- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खास बिंदुओं पर मांगा जवाब
- मानवाधिकार आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 को तलब किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाए जाने का सिलसिला समाप्त न हो पाने के लिए किसानों के बजाय राज्य जिम्मेदार हैं, जो उन्हें इससे निजात दिलाने के लिए फसलों की कटाई मशीन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई दिनों से छाई धुंध की चादर का स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया था। आयोग ने इन राज्यों व दिल्ली सरकार के जवाब पर विचार करने के बाद यह राय व्यक्त की कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है व इन राज्यों की नाकामी के चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने का सिलसिला जारी है।

आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को 18 नवंबर को मामले की फिर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड के जरिये उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही उनसे चार दिनों के भीतर कुछ और बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आयोग ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि पांच हजार एकड़ कृषि भूमि में सात नवंबर तक केवल 2,368.5 एकड़ में ही बायो डिकंपोजर का छिड़काव क्यों किया जा सका? शेष कृषि भूमि में बायो डिकंपोजर के छिड़काव में कितना समय लगेगा। आयोग ने मेकेनिकल रोड, स्वीपर मशीन और एंटी स्माग गन के इस्तेमाल का ब्योरा भी मांगा है। यह भी पूछा है कि मेडिकल वेस्ट कैसे एकत्र किया जाता है और जो अस्पताल इस तरह का कचरा खुले में फेंक रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिया गया। आयोग ने पंजाब सरकार से पूछा है कि जितनी सीआरएम मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई थी उतनी क्यों नहीं खरीदी जा सकी हैं। इसी तरह हरियाणा सरकार से भी पूछा गया है कि बायो डिग्रेडिंग के लिए कितना एरिया कवर किया गया और गांवों में कितने हाट स्पाट बनाए गए हैं। वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या किया। वहीं उत्तर प्रदेश से किसानों के बीच बांटी गई मशीनों के विवरण जैसे कुछ सवाल पूछे गए।

दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खास बिंदुओं पर मांगा जवाब, मुख्य सचिवों को 18 को तलब किया

पराली जलने के लिए किसान नहीं, राज्य जिम्मेदार : एनएचआरसी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाए जाने का सिलसिला समाप्त न हो पाने के लिए किसानों के बजाय राज्य जिम्मेदार हैं, जो उन्हें इससे निजात दिलाने के लिए फसलों की कटाई मशीन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई दिनों से छाई धुंध की चादर का स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया था। आयोग ने इन राज्यों और दिल्ली सरकार के जवाब पर विचार करने के बाद यह राय व्यक्त की कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और इन राज्यों की नाकामी के चलते दिल्ली, पंजाब,

हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने का सिलसिला जारी है।

आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को 18 नवंबर को मामले की फिर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड के जरिये उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही उनसे चार दिनों के भीतर कुछ और बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आयोग ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि पांच हजार एकड़ कृषि भूमि में सात नवंबर तक केवल 2,368.5 एकड़ में ही बायो डिकंपोजर का छिड़काव क्यों किया जा सका? शेष कृषि भूमि में बायो डिकंपोजर के छिड़काव में कितना समय लगेगा। आयोग ने मेकेनिकल रोड, स्वीपर मशीन और एंटी स्माग गन के इस्तेमाल का ब्योरा भी मांगा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि मेडिकल वेस्ट कैसे एकत्र किया जाता है और जो अस्पताल इस तरह का कचरा खुले में फेंक रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिया गया।

आयोग ने पंजाब सरकार से पूछा है कि जितनी सीआरएम मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई थी उतनी क्यों नहीं खरीदी जा सकी हैं। इसी तरह हरियाणा सरकार से भी पूछा गया है कि बायो डिग्रेडिंग के लिए कितना एरिया कवर किया गया और गांवों में कितने हाट स्पाट बनाए गए हैं। वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या किया। वहीं उत्तर प्रदेश से किसानों के बीच बांटी गई मशीनों के विवरण जैसे कुछ सवाल पूछे गए।

प्रदूषण रोकने के लिए कानून बनाने की जरूरत : गुलेरिया

संवाद सूत्र, उदयपुर : राजस्थान के उदयपुर में चेस्ट विशेषज्ञों की 24वीं राष्ट्रीय कांफ्रेंस 'नेपकान- 2022' के तीसरे दिन शनिवार को एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक व पद्मश्री डा. रणदीप गुलेरिया ने बढ़ते वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए संसद से विशेष कानून पास करवाने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि वातावरण के साथ घर में होने वाले प्रदूषण से भी सेहत पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

पराली जलने के मामलों में इस वर्ष 26 प्रतिशत की कमी

गौरव सूद ● पटियाला

पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस वर्ष अभी तक पराली जलाए जाने के मामलों में पिछले वर्ष के मुकाबले 26 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। धान की कटाई के बाद से ही पराली जलाने की घटनाएं शुरू हो गई थीं। शुरुआती दिनों में पराली जलाए जाने की घटनाएं पिछले वर्ष की तुलना में ज्यादा थीं, लेकिन अब इसमें कमी आना शुरू हो गई है। शनिवार को राज्य में 2467 जगह पराली जलाई गई। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 12 नवंबर तक पराली जलाने की घटनाएं 15, 832 कम हैं। वर्ष 2021 में 12 नवंबर तक जहां 58,976 जगह पराली जलाई गई थी, वहीं इस वर्ष 12 नवंबर तक यह आंकड़ा 43,144 है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 26 प्रतिशत कम हैं।

DAINIK JAGRAN, Patna, 13.11.2022
Page No. 8, Size:(5.93)cms X (13.14)cms.

राज्यों की विफलता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलने के लिए किसानों को दोष देने के बजाय जिस तरह यहां की राज्य सरकारों को जिम्मेदार बताया, वह एक बड़ी हद तक सही है। किसान इसीलिए पराली जला रहे हैं, क्योंकि राज्य ऐसे कोई प्रबंध नहीं कर सके, जिससे वे ऐसा करने से बचते। राज्य सरकारें इससे परिचित थीं कि सदैव की तरह इस वर्ष भी अक्टूबर शुरू होते ही किसान पराली जलाना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई जतन नहीं किए जिससे इसकी नौबत न आए। परिणाम यह हुआ कि दीवाली बाद दिल्ली-एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से का पर्यावरण विषाक्त होना शुरू हो गया। चिंताजनक यह है कि पराली अब भी जल रही है। भले ही पराली दहन विषैले पर्यावरण के लिए एक मात्र वजह न हो, लेकिन इतना तो है ही कि इस मौसम में पराली दहन से उपजा धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता है। अभी यह जानना कठिन है कि मानवाधिकार आयोग की ओर से पराली जलने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को उत्तरदायी ठहराए जाने के बाद इन राज्यों की सरकारें पराली दहन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगी या नहीं, क्योंकि बीते वर्षों में यही देखने को मिला है कि जैसे ही पराली जलना बंद होती है, राज्य सरकारें यह कहकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेती हैं कि ऐसे प्रबंध किए जाएंगे कि अगले वर्ष पराली न जले। न जाने कब से यही सुनने को मिल रहा है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। इस मामले में सबसे निराशाजनक रवैया पंजाब सरकार का है। अन्य राज्यों ने तो तब भी पराली दहन पर एक सीमा तक रोक लगाई, लेकिन पंजाब पूरी तरह नाकाम रहा। इस नाकामी की एक बड़ी वजह उसकी शिथिलता रही और दूसरी, किसानों का रवैया। उन्होंने यह जानते हुए भी पराली जलाई कि इससे पर्यावरण विषाक्त होने के साथ लोगों की सेहत के लिए खतरा पैदा होता है। मानवाधिकार आयोग की ओर से किसानों को क्लीनचिट दिए जाने के बाद खतरा इसका है कि कहीं वे यह न मान बैठें कि उनकी ओर से कुछ गलत नहीं किया जा रहा है। उचित यह होगा कि राज्य सरकारें जहां ऐसी व्यवस्था करें कि किसान खेतों में पराली जलाने के लिए विवश न हों, वहीं उन किसानों पर लगाम भी लगाएं, जो वैकल्पिक उपाय आजमाने के बजाय जानबूझकर पराली जलाते हैं। पराली जलने के मामले में मानवाधिकार आयोग की सक्रियता उचित ही है, क्योंकि वायु प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पराली जलना और उसके चलते पर्यावरण का विषाक्त होना सरकारों की सामूहिक विफलता है। इस विफलता के मूल में उनका खानापूरी वाला रवैया है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Patna, 13.11.2022
Page No. 10, Size:(5.58)cms X (9.34)cms.

पराली जलने को किसान नहीं राज्य जिम्मेदार : एनएचआरसी

- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खास बिंदुओं पर मांगा जवाब
- मानवाधिकार आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 को तलब किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाए जाने का सिलसिला समाप्त न हो पाने के लिए किसानों के बजाय राज्य जिम्मेदार हैं, जो उन्हें इससे निजात दिलाने के लिए फसलों की कटाई मशीन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई दिनों से छाई धुंध की चादर का स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया था। आयोग ने इन राज्यों और दिल्ली सरकार के जवाब पर विचार करने के बाद यह राय व्यक्त की कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और इन राज्यों की नाकामी के चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने का सिलसिला जारी है।

आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को 18 नवंबर को मामले की फिर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड के जरिये उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही उनसे चार दिनों के भीतर कुछ और बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आयोग ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि पांच हजार एकड़ कृषि भूमि में सात नवंबर तक केवल 2,368.5 एकड़ में ही बायो डिकंपोजर का छिड़काव क्यों किया जा सका? शेष कृषि भूमि में बायो डिकंपोजर के छिड़काव में कितना समय लगेगा। आयोग ने मेकेनिकल रोड, स्वीपर मशीन और एंटी स्माग गन के इस्तेमाल का ब्योरा भी मांगा है। आयोग ने पंजाब सरकार से पूछा है कि जितनी सीआरएम मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई थी उतनी क्यों नहीं खरीदी जा सकी हैं। इसी तरह हरियाणा सरकार से भी पूछा गया है कि बायो डिग्रेडिंग के लिए कितना एरिया कवर किया गया और गांवों में कितने हाट स्पाट बनाए गए हैं। वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या किया।

DAINIK JAGRAN, Ranchi, 13.11.2022
Page No. 10, Size:(5.93)cms X (13.43)cms.

राज्यों की विफलता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलने के लिए किसानों को दोष देने के बजाय जिस तरह यहां की राज्य सरकारों को जिम्मेदार बताया, वह एक बड़ी हद तक सही है। किसान इसीलिए पराली जला रहे हैं, क्योंकि राज्य ऐसे कोई प्रबंध नहीं कर सके, जिससे वे ऐसा करने से बचते। राज्य सरकारें इससे परिचित थीं कि सदैव की तरह इस वर्ष भी अक्टूबर शुरू होते ही किसान पराली जलाना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई जतन नहीं किए जिससे इसकी नौबत न आए। परिणाम यह हुआ कि दीवाली बाद दिल्ली-एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से का पर्यावरण विषाक्त होना शुरू हो गया। चिंताजनक यह है कि पराली अब भी जल रही है। भले ही पराली दहन विषैले पर्यावरण के लिए एक मात्र वजह न हो, लेकिन इतना तो है ही कि इस मौसम में पराली दहन से उपजा धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता है।

अभी यह जानना कठिन है कि मानवाधिकार आयोग की ओर से पराली जलने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को उत्तरदायी ठहराए जाने के बाद इन राज्यों की सरकारें पराली दहन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगी या नहीं, क्योंकि बीते वर्षों में यही देखने को मिला है कि जैसे ही पराली जलना बंद होती है, राज्य सरकारें यह कहकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेती हैं कि ऐसे प्रबंध किए जाएंगे कि अगले वर्ष पराली न जले। न जाने कब से यही सुनने को मिल रहा है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। इस मामले में सबसे निराशाजनक रवैया पंजाब सरकार का है। अन्य राज्यों ने तो तब भी पराली दहन पर एक सीमा तक रोक लगाई, लेकिन पंजाब पूरी तरह नाकाम रहा। इस नाकामी की एक बड़ी वजह उसकी शिथिलता रही और दूसरी, किसानों का रवैया। उन्होंने यह जानते हुए भी पराली जलाई कि इससे पर्यावरण विषाक्त होने के साथ लोगों की सेहत के लिए खतरा पैदा होता है। मानवाधिकार आयोग की ओर से किसानों को क्लीनचिट दिए जाने के बाद खतरा इसका है कि कहीं वे यह न मान बैठें कि उनकी ओर से कुछ गलत नहीं किया जा रहा है। उचित यह होगा कि राज्य सरकारें जहां ऐसी व्यवस्था करें कि किसान खेतों में पराली जलाने के लिए विवश न हों, वहीं उन किसानों पर लगाम भी लगाएं, जो वैकल्पिक उपाय आजमाने के बजाय जानबूझकर पराली जलाते हैं। पराली जलने के मामले में मानवाधिकार आयोग की सक्रियता उचित ही है, क्योंकि वायु प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पराली जलना और उसके चलते पर्यावरण का विषाक्त होना सरकारों की सामूहिक विफलता है। इस विफलता के मूल में उनका खानापूरी वाला रवैया है।

DAINIK JAGRAN, Lucknow, 13.11.2022
Page No. 21, Size:(11.73)cms X (21.50)cms.

पराली जलने के लिए किसान नहीं राज्य जिम्मेदार : एनएचआरसी

- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश से खास बिंदुओं पर मांगा जवाब
- मानवाधिकार आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 को तलब किया

जाब्यू, नई दिल्ली : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाए जाने का सिलसिला समाप्त न हो पाने के लिए किसानों के बजाय राज्य जिम्मेदार हैं, जो उन्हें इससे निजात दिलाने के लिए फसलों की कटाई मशीन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। आयोग ने नई दिल्ली क्षेत्र में कई दिनों से छाई धुंध की चादर का स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व उप्र के मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया था। आयोग ने इन राज्यों व दिल्ली सरकार के जवाब पर विचार करने के बाद राय व्यक्त की कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है व इन राज्यों की नाकामी पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा व यूपी में पराली जलाई जा रही है।

आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को 18 नवंबर को मामले की फिर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड के जरिये उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही उनसे चार दिनों के भीतर कुछ और बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आयोग ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि पांच हजार एकड़ कृषि भूमि में सात नवंबर तक केवल 2,368.5 एकड़ में ही बायो डिकंपोजर का छिड़काव क्यों किया जा सका? शेष कृषि भूमि में बायो डिकंपोजर के छिड़काव में कितना समय लगेगा। आयोग ने मेकेनिकल रोड, स्वीपर मशीन और एंटी स्माग गन के प्रयोग का ब्योरा भी मांगा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि मेडिकल वेस्ट कैसे एकत्र किया जाता है और जो अस्पताल इस तरह का कचरा खुले में फेंक रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिया गया। आयोग ने पंजाब सरकार से पूछा है कि जितनी सीआरएम मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई थी उतनी क्यों नहीं खरीदी जा सकी हैं। इसी तरह हरियाणा सरकार से भी पूछा गया है कि बायो डिग्रेडिंग के लिए कितना एरिया कवर किया गया और गांवों में कितने हाट स्पाट बनाए गए हैं। वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या किया। वहीं उत्तर प्रदेश से किसानों के बीच बांटी गई मशीनों के विवरण जैसे कुछ सवाल पूछे गए।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Prayagraj, 13.11.2022
Page No. 17, Size:(14.04)cms X (18.38)cms.

पराली जलने के लिए किसान नहीं राज्य जिम्मेदार : एनएचआरसी

- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खास बिंदुओं पर मांगा जवाब
- मानवाधिकार आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 को तलब किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाए जाने का सिलसिला समाप्त न हो पाने के लिए किसानों के बजाय राज्य जिम्मेदार हैं, जो उन्हें इससे निजात दिलाने के लिए फसलों की कटाई मशीन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई दिनों से छाई धुंध की चादर का स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया था। आयोग ने इन राज्यों और दिल्ली सरकार के जवाब पर विचार करने के बाद यह राय व्यक्त की कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और इन राज्यों की नाकामी के चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने का सिलसिला जारी है।

आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को 18 नवंबर को मामले की फिर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड के जरिये उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही उनसे चार दिनों के भीतर कुछ और बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

आयोग ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि पांच हजार एकड़ कृषि भूमि में सात नवंबर तक केवल 2,368.5 एकड़ में ही बायो डिकंपोजर का छिड़काव क्यों किया जा सका? शेष कृषि भूमि में बायो डिकंपोजर के छिड़काव में कितना समय लगेगा। आयोग ने मेकेनिकल रोड, स्वीपर मशीन और एंटी स्माग गन के इस्तेमाल का ब्योरा भी मांगा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि मेडिकल वेस्ट कैसे एकत्र किया जाता है और जो अस्पताल इस तरह का कचरा खुले में फेंक रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिया गया।

DAINIK JAGRAN, Prayagraj, 13.11.2022
Page No. 10, Size:(11.05)cms X (20.76)cms.

राज्यों की विफलता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलने के लिए किसानों को दोष देने के बजाय जिस तरह यहां की राज्य सरकारों को जिम्मेदार बताया, वह एक बड़ी हद तक सही है। किसान इसीलिए पराली जला रहे हैं, क्योंकि राज्य ऐसे कोई प्रबंध नहीं कर सके, जिससे वे ऐसा करने से बचते। राज्य सरकारें इससे परिचित थीं कि सदैव की तरह इस वर्ष भी अक्टूबर शुरू होते ही किसान पराली जलाना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई जतन नहीं किए जिससे इसकी नौबत न आए। परिणाम यह हुआ कि दीवाली बाद दिल्ली-एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से का पर्यावरण विषाक्त होना शुरू हो गया। चिंताजनक यह है कि पराली अब भी जल रही है। भले ही पराली दहन विषैले पर्यावरण के लिए एक मात्र वजह न हो, लेकिन इतना तो है ही कि इस मौसम में पराली दहन से उपजा धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता है।

अभी यह जानना कठिन है कि मानवाधिकार आयोग की ओर से पराली जलने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को उत्तरदायी ठहराए जाने के बाद इन राज्यों की सरकारें पराली दहन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगी या नहीं, क्योंकि बीते वर्षों में यही देखने को मिला है कि जैसे ही पराली जलना बंद होती है, राज्य सरकारें यह कहकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेती हैं कि ऐसे प्रबंध किए जाएंगे कि अगले वर्ष पराली न जले। न जाने कब से यही सुनने को मिल रहा है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। इस मामले में सबसे निराशाजनक रवैया पंजाब सरकार का है। अन्य राज्यों ने तो तब भी पराली दहन पर एक सीमा तक रोक लगाई, लेकिन पंजाब पूरी तरह नाकाम रहा। इस नाकामी की एक बड़ी वजह उसकी शिथिलता रही और दूसरी, किसानों का रवैया। उन्होंने यह जानते हुए भी पराली जलाई कि इससे पर्यावरण विषाक्त होने के साथ लोगों की सेहत के लिए खतरा पैदा होता है। मानवाधिकार आयोग की ओर से किसानों को क्लीनचिट दिए जाने के बाद खतरा इसका है कि कहीं वे यह न मान बैठें कि उनकी ओर से कुछ गलत नहीं किया जा रहा है। उचित यह होगा कि राज्य सरकारें जहां ऐसी व्यवस्था करें कि किसान खेतों में पराली जलाने के लिए विवश न हों, वहीं उन किसानों पर लगाम भी लगाएं, जो वैकल्पिक उपाय आजमाने के बजाय जानबूझकर पराली जलाते हैं। पराली जलने के मामले में मानवाधिकार आयोग की सक्रियता उचित ही है, क्योंकि वायु प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पराली जलना और उसके चलते पर्यावरण का विषाक्त होना सरकारों की सामूहिक विफलता है। इस विफलता के मूल में उनका खानापूरी वाला रवैया है।

पराली जलने के लिए किसान नहीं राज्य जिम्मेदार : एनएचआरसी

- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खास बिंदुओं पर मांगा जवाब
- मानवाधिकार आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 को तलब किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाए जाने का सिलसिला समाप्त न हो पाने के लिए किसानों के बजाय राज्य जिम्मेदार हैं, जो उन्हें इससे निजात दिलाने के लिए फसलों की कटाई मशीन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई दिनों से छाई धुंध की चादर का स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया था। आयोग ने इन राज्यों और दिल्ली सरकार के जवाब पर विचार करने के बाद यह राय व्यक्त की कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और इन राज्यों की नाकामी के चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने का सिलसिला जारी है।

आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को 18 नवंबर को मामले की फिर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड के जरिये उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही उनसे चार दिनों के भीतर कुछ और बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

आयोग ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि पांच हजार एकड़ कृषि भूमि में सात नवंबर तक केवल 2,368.5 एकड़ में ही बायो डिकंपोजर का छिड़काव क्यों किया जा सका? शेष कृषि भूमि में बायो डिकंपोजर के छिड़काव में कितना समय लगेगा। आयोग ने मेकेनिकल रोड, स्वीपर मशीन और एंटी स्माग गन के इस्तेमाल का ब्योरा भी मांगा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि मेडिकल वेस्ट कैसे एकत्र किया जाता है और जो अस्पताल इस तरह का कचरा खुले में फेंक रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिया गया।

RASHTRIYA SAHARA, Kanpur, 13.11.2022
Page No. 1, Size:(9.80)cms X (12.38)cms.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एनएचआरसी सख्त, कहा

किसान नहीं राज्य सरकारें जिम्मेदार

- दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार से चार दिन के अंदर हालात सुधारने को कहा
- किसानों को पराली जलाने के लिए विवश किया गया है
- 18 नवम्बर को फिर होगी सुनवाई

नई दिल्ली (एसएनबी)।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए चार राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कहा, किसानों को पराली जलाने के लिए विवश किया गया है। उन्हें फसल की कटाई के लिए मशीनें मुहैया नहीं कराई गई हैं जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार का दायित्व है कि वह किसानों को मशीनें उपलब्ध कराएं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण पर सख्त रुख अपना रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 10 नवम्बर को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों का पक्ष सुनने के बाद पराली जलाए जाने के लिए राज्यों को जिम्मेदार मानते हुए उनसे चार दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने दिल्ली तथा तीनों राज्यों से कहा है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के बारे में अगले चार दिन में निश्चित रिपोर्ट दाखिल करें। आयोग ने कहा है कि वह 18 नवम्बर को मुख्य सचिवों की मौजूदगी में दोबारा मामले की सुनवाई करेगा।

आयोग ने मीडिया में आई रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए दिल्ली तथा तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को सुनवाई के लिए गत 10 नवम्बर को तलब किया था। मुख्य सचिवों की बातें सुनने के बाद आयोग का मानना है कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। राज्य शेष पेज 13

गुरुग्राम : वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पानी छिड़काव करती एंटी स्मॉग गन।

17 फीसद प्रदूषण अब भी पराली जलाने से

नई दिल्ली (भाषा)। दिल्ली में शनिवार को तेज हवाओं के कारण वायु प्रदूषण कुछ कम हुआ। हालांकि, पंजाब में पराली जलाए जाने के कारण हवा की गुणवत्ता अब तक बेहतर नहीं हो पाई है।

दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) शनिवार को 303 रहा, जो शुक्रवार के 346 से बेहतर है। बृहस्पतिवार को औसत सूचकांक 295 था। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं शुक्रवार को 3,916 से कम होकर शनिवार को 2,467 पर पहुंच गई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत पूर्वानुमान एजेंसी 'सफर' के अनुसार दिल्ली के पीएम 2.5 प्रदूषण में पराली के प्रदूषण की हिस्सेदारी शुक्रवार को 19 प्रतिशत से घटकर शनिवार को 17 प्रतिशत हो गई। हालांकि, भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान के निर्णय समर्थन प्रणाली के आंकड़ों से पता चला है कि शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में 'जैव ईंधन' जलाने का सबसे बड़ा योगदान रहा।

किसान नहीं राज्य...

सरकारें किसानों को पर्याप्त मात्रा में कटाई मशीनें देने में विफल रही हैं जिसके कारण किसानों को पराली को जलाना पड़ रहा है इसलिए कोई भी राज्य किसानों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। आयोग ने कहा, पराली राज्य सरकारों की विफलता के कारण जलाई जा रही है जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। आयोग ने सभी मुख्य सचिवों से अगली सुनवाई के दिन 18 नवम्बर को मौजूद रहने तथा इससे पहले रिपोर्ट देने को कहा है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

JANSATTA, Lucknow, 13.11.2022
Page No. 10, Size:(12.09)cms X (10.74)cms.

'राज्य सरकारें पराली जलाने का दोष किसानों पर नहीं थोप सकतीं'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 12 नवंबर।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना है कि राज्य सरकारें पराली जलाने का दोष किसानों पर नहीं थोप सकतीं। पंजाब, हरियाणा और बाकी दो राज्यों के किसान मजबूरी में पराली जलाते हैं। इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। उन्हें किसानों को पराली की समस्या से छुटकारा दिलाने वाली कटाई मशीन उपलब्ध करानी चाहिए, पर वे पर्याप्त संख्या में ऐसी मशीनें और दूसरे उपकरण मुहैया कराने में नाकाम रही हैं। नतीजतन किसान पराली जला रहे हैं और उससे प्रदूषण फैल रहा है।

आयोग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को दिल्ली एनसीआर में बढ़ती प्रदूषण की समस्या को लेकर एक बार फिर 18 नवंबर को तलब किया है। इससे पहले आयोग ने इन चारों मुख्य सचिवों को दस नवंबर को बुलाया था। आयोग ने इस बैठक में कुछ मुद्दे उठाए थे। अगली सुनवाई से पहले चारों मुख्य सचिवों को उन मुद्दों के बारे में जवाबी हलफनामा दाखिल करना होगा।

आयोग ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि खुले में पराली जलाने पर नियंत्रण के लिए उसने क्या कदम उठाए हैं। राजधानी में धान की पांच हजार एकड़ कृषि भूमि में से अभी तक केवल 2368 एकड़ को ही पराली जलाने से मुक्त किया गया है। बाकी खेती को इस समस्या से मुक्ति कैसे और कब तक दी जाएगी। हरियाणा सरकार से भी बायो डिग्रेडिंग क्षेत्रफल का ब्योरा मांगा गया है। पंजाब सरकार से मशीनों की उपलब्धता और उत्तर प्रदेश सरकार से भी प्रदूषण की समस्या से बचाव के उपाय पूछे हैं।

RASHTRIYA SAHARA, Gorakhpur, 13.11.2022
Page No. 1, Size:(8.25)cms X (5.15)cms.

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर एनएचआरसी सख्त, कहा

किसान नहीं राज्य सरकारें जिम्मेदार

- दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार से चार दिन के अंदर हालात सुधारने को कहा
- किसानों को पराली जलाने के लिए विवश किया गया है
- 18 नवम्बर को फिर होगी सुनवाई

पेज 11

- 17 फीसद प्रदूषण अब भी पराली जलाने से
- दिल्ली-एनसीआर में हर घर के 3 सदस्य प्रदूषण से प्रभावित!

नई दिल्ली (एसएनबी)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के लिए चार राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। आयोग ने कहा, किसानों को पराली जलाने के लिए विवश किया गया है। उन्हें फसल की कटाई के लिए मशीनें मुहैया नहीं कराई गई हैं जबकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार का दायित्व है कि वह किसानों को मशीनें उपलब्ध कराएं।राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र-दिल्ली में जानलेवा प्रदूषण पर सख्त रुख अपना रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 10 नवम्बर को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों का पक्ष सुनने के बाद पराली जलाए जाने के लिए राज्यों को जिम्मेदार मानते हुए उनसे चार दिन में रिपोर्ट देने को कहा है। आयोग ने दिल्ली तथा तीनों राज्यों से कहा है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण कम करने के बारे में अगले चार दिन में निश्चित रिपोर्ट दाखिल करें। आयोग ने कहा है कि वह 18 नवम्बर को मुख्य सचिवों की मौजूदगी में दोबारा मामले की सुनवाई करेगा।आयोग ने मीडिया में आई रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए दिल्ली तथा तीनों राज्यों के मुख्य सचिवों को सुनवाई के लिए गत 10 नवम्बर को तलब किया था। मुख्य सचिवों की बातें सुनने के बाद आयोग का मानना है कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। राज्य सरकारें किसानों को पर्याप्त मात्रा में कटाई मशीनें देने में विफल रही हैं जिसके कारण किसानों को पराली को जलाना पड़ रहा है इसलिए कोई भी राज्य किसानों को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Lucknow, 13.11.2022
Page No. 12, Size:(12.03)cms X (21.18)cms.

राज्यों की विफलता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलने के लिए किसानों को दोष देने के बजाय जिस तरह यहां की राज्य सरकारों को जिम्मेदार बताया, वह एक बड़ी हद तक सही है। किसान इसीलिए पराली जला रहे हैं, क्योंकि राज्य ऐसे कोई प्रबंध नहीं कर सके, जिससे वे ऐसा करने से बचते। राज्य सरकारें इससे परिचित थीं कि सदैव की तरह इस वर्ष भी अक्टूबर शुरू होते ही किसान पराली जलाना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई जतन नहीं किए जिससे इसकी नौबत न आए। परिणाम यह हुआ कि दीवाली बाद दिल्ली-एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से का पर्यावरण विषाक्त होना शुरू हो गया। चिंताजनक यह है कि पराली अब भी जल रही है। भले ही पराली दहन विषैले पर्यावरण के लिए एक मात्र वजह न हो, लेकिन इतना तो है ही कि इस मौसम में पराली दहन से उपजा धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता है।

अभी यह जानना कठिन है कि मानवाधिकार आयोग की ओर से पराली जलने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को उत्तरदायी ठहराए जाने के बाद इन राज्यों की सरकारें पराली दहन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगी या नहीं, क्योंकि बीते वर्षों में यही देखने को मिला है कि जैसे ही पराली जलना बंद होती है, राज्य सरकारें यह कहकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेती हैं कि ऐसे प्रबंध किए जाएंगे कि अगले वर्ष पराली न जले। न जाने कब से यही सुनने को मिल रहा है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। इस मामले में सबसे निराशाजनक रवैया पंजाब सरकार का है। अन्य राज्यों ने तो तब भी पराली दहन पर एक सीमा तक रोक लगाई, लेकिन पंजाब पूरी तरह नाकाम रहा। इस नाकामी की एक बड़ी वजह उसकी शिथिलता रही और दूसरी, किसानों का रवैया। उन्होंने यह जानते हुए भी पराली जलाई कि इससे पर्यावरण विषाक्त होने के साथ लोगों की सेहत के लिए खतरा पैदा होता है। मानवाधिकार आयोग की ओर से किसानों को क्लीनचिट दिए जाने के बाद खतरा इसका है कि कहीं वे यह न मान बैठें कि उनकी ओर से कुछ गलत नहीं किया जा रहा है। उचित यह होगा कि राज्य सरकारें जहां ऐसी व्यवस्था करें कि किसान खेतों में पराली जलाने के लिए विवश न हों, वहीं उन किसानों पर लगाम भी लगाएं, जो वैकल्पिक उपाय आजमाने के बजाय जानबूझकर पराली जलाते हैं। पराली जलने के मामले में मानवाधिकार आयोग की सक्रियता उचित ही है, क्योंकि वायु प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पराली जलना और उसके चलते पर्यावरण का विषाक्त होना सरकारों की सामूहिक विफलता है। इस विफलता के मूल में उनका खानापूरी वाला रवैया है।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

DAINIK JAGRAN, Kanpur, 13.11.2022
Page No. 17, Size:(13.24)cms X (17.44)cms.

पराली जलने के लिए किसान नहीं राज्य जिम्मेदार : एनएचआरसी

- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खास बिंदुओं पर मांगा जवाब
- मानवाधिकार आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 को तलब किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्लीः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाए जाने का सिलसिला समाप्त न हो पाने के लिए किसानों के बजाय राज्य जिम्मेदार हैं, जो उन्हें इससे निजात दिलाने के लिए फसलों की कटाई मशीन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई दिनों से छाई धुंध की चादर का स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया था। आयोग ने इन राज्यों और दिल्ली सरकार के जवाब पर विचार करने के बाद यह राय व्यक्त की कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और इन राज्यों की नाकामी के चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने का सिलसिला जारी है।

आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को 18 नवंबर को मामले की फिर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड के जरिये उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही उनसे चार दिनों के भीतर कुछ और बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आयोग ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि पांच हजार एकड़ कृषि भूमि में सात नवंबर तक केवल 2,368.5 एकड़ में ही बायो डिकंपोजर का छिड़काव क्यों किया जा सका? शेष कृषि भूमि में बायो डिकंपोजर के छिड़काव में कितना समय लगेगा। आयोग ने मेकेनिकल रोड, स्वीपर मशीन और एंटी स्माग गन के इस्तेमाल का ब्योरा भी मांगा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि मेडिकल वेस्ट कैसे एकत्र किया जाता है और जो अस्पताल इस तरह का कचरा खुले में फेंक रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिया गया।

राज्यों की विफलता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलने के लिए किसानों को दोष देने के बजाय जिस तरह यहां की राज्य सरकारों को जिम्मेदार बताया, वह एक बड़ी हद तक सही है। किसान इसीलिए पराली जला रहे हैं, क्योंकि राज्य ऐसे कोई प्रबंध नहीं कर सके, जिससे वे ऐसा करने से बचते। राज्य सरकारें इससे परिचित थीं कि सदैव की तरह इस वर्ष भी अक्टूबर शुरू होते ही किसान पराली जलाना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई जतन नहीं किए जिससे इसकी नौबत न आए। परिणाम यह हुआ कि दीवाली बाद दिल्ली-एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से का पर्यावरण विषाक्त होना शुरू हो गया। चिंताजनक यह है कि पराली अब भी जल रही है। भले ही पराली दहन विषैले पर्यावरण के लिए एक मात्र वजह न हो, लेकिन इतना तो है ही कि इस मौसम में पराली दहन से उपजा धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता है।

अभी यह जानना कठिन है कि मानवाधिकार आयोग की ओर से पराली जलने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को उत्तरदायी ठहराए जाने के बाद इन राज्यों की सरकारें पराली दहन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगी या नहीं, क्योंकि बीते वर्षों में यही देखने को मिला है कि जैसे ही पराली जलना बंद होती है, राज्य सरकारें यह कहकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेती हैं कि ऐसे प्रबंध किए जाएंगे कि अगले वर्ष पराली न जले। न जाने कब से यही सुनने को मिल रहा है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। इस मामले में सबसे निराशाजनक रवैया पंजाब सरकार का है। अन्य राज्यों ने तो तब भी पराली दहन पर एक सीमा तक रोक लगाई, लेकिन पंजाब पूरी तरह नाकाम रहा। इस नाकामी की एक बड़ी वजह उसकी शिथिलता रही और दूसरी, किसानों का रवैया। उन्होंने यह जानते हुए भी पराली जलाई कि इससे पर्यावरण विषाक्त होने के साथ लोगों की सेहत के लिए खतरा पैदा होता है। मानवाधिकार आयोग की ओर से किसानों को क्लीनचिट दिए जाने के बाद खतरा इसका है कि कहीं वे यह न मान बैठें कि उनकी ओर से कुछ गलत नहीं किया जा रहा है। उचित यह होगा कि राज्य सरकारें जहां ऐसी व्यवस्था करें कि किसान खेतों में पराली जलाने के लिए विवश न हों, वहीं उन किसानों पर लगाम भी लगाएं, जो वैकल्पिक उपाय आजमाने के बजाय जानबूझकर पराली जलाते हैं। पराली जलने के मामले में मानवाधिकार आयोग की सक्रियता उचित ही है, क्योंकि वायु प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पराली जलना और उसके चलते पर्यावरण का विषाक्त होना सरकारों की सामूहिक विफलता है। इस विफलता के मूल में उनका खानापूरी वाला रवैया है।

राज्यों की विफलता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलने के लिए किसानों को दोष देने के बजाय जिस तरह यहां की राज्य सरकारों को जिम्मेदार बताया, वह एक बड़ी हद तक सही है। किसान इसीलिए पराली जला रहे हैं, क्योंकि राज्य ऐसे कोई प्रबंध नहीं कर सके, जिससे वे ऐसा करने से बचते। राज्य सरकारें इससे परिचित थीं कि सदैव की तरह इस वर्ष भी अक्टूबर शुरू होते ही किसान पराली जलाना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई जतन नहीं किए जिससे इसकी नौबत न आए। परिणाम यह हुआ कि दीवाली बाद दिल्ली-एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से का पर्यावरण विषाक्त होना शुरू हो गया। चिंताजनक यह है कि पराली अब भी जल रही है। भले ही पराली दहन विषैले पर्यावरण के लिए एक मात्र वजह न हो, लेकिन इतना तो है ही कि इस मौसम में पराली दहन से उपजा धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता है।

अभी यह जानना कठिन है कि मानवाधिकार आयोग की ओर से पराली जलने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को उत्तरदायी ठहराए जाने के बाद इन राज्यों की सरकारें पराली दहन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगी या नहीं, क्योंकि बीते वर्षों में यही देखने को मिला है कि जैसे ही पराली जलना बंद होती है, राज्य सरकारें यह कहकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेती हैं कि ऐसे प्रबंध किए जाएंगे कि अगले वर्ष पराली न जले। न जाने कब से यही सुनने को मिल रहा है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। इस मामले में सबसे निराशाजनक रवैया पंजाब सरकार का है। अन्य राज्यों ने तो तब भी पराली दहन पर एक सीमा तक रोक लगाई, लेकिन पंजाब पूरी तरह नाकाम रहा। इस नाकामी की एक बड़ी वजह उसकी शिथिलता रही और दूसरी, किसानों का रवैया। उन्होंने यह जानते हुए भी पराली जलाई कि इससे पर्यावरण विषाक्त होने के साथ लोगों की सेहत के लिए खतरा पैदा होता है। मानवाधिकार आयोग की ओर से किसानों को क्लीनचिट दिए जाने के बाद खतरा इसका है कि कहीं वे यह न मान बैठें कि उनकी ओर से कुछ गलत नहीं किया जा रहा है। उचित यह होगा कि राज्य सरकारें जहां ऐसी व्यवस्था करें कि किसान खेतों में पराली जलाने के लिए विवश न हों, वहीं उन किसानों पर लगाम भी लगाएं, जो वैकल्पिक उपाय आजमाने के बजाय जानबूझकर पराली जलाते हैं। पराली जलने के मामले में मानवाधिकार आयोग की सक्रियता उचित ही है, क्योंकि वायु प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पराली जलना और उसके चलते पर्यावरण का विषाक्त होना सरकारों की सामूहिक विफलता है। इस विफलता के मूल में उनका खानापूरी वाला रवैया है।

DAINIK JAGRAN, Varanasi, 13.11.2022
Page No. 10, Size:(12.03)cms X (17.90)cms.

राज्यों की विफलता

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलने के लिए किसानों को दोष देने के बजाय जिस तरह यहां की राज्य सरकारों को जिम्मेदार बताया, वह एक बड़ी हद तक सही है। किसान इसीलिए पराली जला रहे हैं, क्योंकि राज्य ऐसे कोई प्रबंध नहीं कर सके, जिससे वे ऐसा करने से बचते। राज्य सरकारें इससे परिचित थीं कि सदैव की तरह इस वर्ष भी अक्टूबर शुरू होते ही किसान पराली जलाना शुरू कर देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसे कोई जतन नहीं किए जिससे इसकी नौबत न आए। परिणाम यह हुआ कि दीवाली बाद दिल्ली-एनसीआर के साथ ही उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से का पर्यावरण विषाक्त होना शुरू हो गया। चिंताजनक यह है कि पराली अब भी जल रही है। भले ही पराली दहन विषैले पर्यावरण के लिए एक मात्र वजह न हो, लेकिन इतना तो है ही कि इस मौसम में पराली दहन से उपजा धुआं वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनता है।

अभी यह जानना कठिन है कि मानवाधिकार आयोग की ओर से पराली जलने के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को उत्तरदायी ठहराए जाने के बाद इन राज्यों की सरकारें पराली दहन को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएंगी या नहीं, क्योंकि बीते वर्षों में यही देखने को मिला है कि जैसे ही पराली जलना बंद होती है, राज्य सरकारें यह कहकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेती हैं कि ऐसे प्रबंध किए जाएंगे कि अगले वर्ष पराली न जले। न जाने कब से यही सुनने को मिल रहा है, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात वाला है। इस मामले में सबसे निराशाजनक रवैया पंजाब सरकार का है। अन्य राज्यों ने तो तब भी पराली दहन पर एक सीमा तक रोक लगाई, लेकिन पंजाब पूरी तरह नाकाम रहा। इस नाकामी की एक बड़ी वजह उसकी शिथिलता रही और दूसरी, किसानों का रवैया। उन्होंने यह जानते हुए भी पराली जलाई कि इससे पर्यावरण विषाक्त होने के साथ लोगों की सेहत के लिए खतरा पैदा होता है। मानवाधिकार आयोग की ओर से किसानों को क्लीनचिट दिए जाने के बाद खतरा इसका है कि कहीं वे यह न मान बैठें कि उनकी ओर से कुछ गलत नहीं किया जा रहा है। उचित यह होगा कि राज्य सरकारें जहां ऐसी व्यवस्था करें कि किसान खेतों में पराली जलाने के लिए विवश न हों, वहीं उन किसानों पर लगाम भी लगाएं, जो वैकल्पिक उपाय आजमाने के बजाय जानबूझकर पराली जलाते हैं। पराली जलने के मामले में मानवाधिकार आयोग की सक्रियता उचित ही है, क्योंकि वायु प्रदूषण लोगों की जान का दुश्मन बन रहा है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पराली जलना और उसके चलते पर्यावरण का विषाक्त होना सरकारों की सामूहिक विफलता है। इस विफलता के मूल में उनका खानापूरी वाला रवैया है।

DAINIK JAGRAN, Gorakhpur, 13.11.2022
Page No. 19, Size:(12.22)cms X (18.15)cms.

पराली जलने के लिए किसान नहीं राज्य जिम्मेदार : एनएचआरसी

- दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से खास बिंदुओं पर मांगा जवाब
- मानवाधिकार आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 को तलब किया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना है कि दिल्ली-एनसीआर में पराली जलाए जाने का सिलसिला समाप्त न हो पाने के लिए किसानों के बजाय राज्य जिम्मेदार हैं, जो उन्हें इससे निजात दिलाने के लिए फसलों की कटाई मशीन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई दिनों से छाई धुंध की चादर का स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया था। आयोग ने इन राज्यों और दिल्ली सरकार के जवाब पर विचार करने के बाद यह राय व्यक्त की कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और इन राज्यों की नाकामी के चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने का सिलसिला जारी है।

आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को 18 नवंबर को मामले की फिर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड के जरिये उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही उनसे चार दिनों के भीतर कुछ और बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

आयोग ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि पांच हजार एकड़ कृषि भूमि में सात नवंबर तक केवल 2,368.5 एकड़ में ही बायो डिकंपोजर का छिड़काव क्यों किया जा सका? शेष कृषि भूमि में बायो डिकंपोजर के छिड़काव में कितना समय लगेगा। आयोग ने मेकेनिकल रोड, स्वीपर मशीन और एंटी स्माग गन के इस्तेमाल का ब्योरा भी मांगा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि मेडिकल वेस्ट कैसे एकत्र किया जाता है और जो अस्पताल इस तरह का कचरा खुले में फेंक रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिया गया।

Farmers 'forced' to burn stubble: NHRC

https://www.hindustantimes.com/cities/chandigarh-news/farmers-forced-to-burn-stubble-nhrc-101668282206336.html

https://www.ndtv.com/india-news/farmers-are-burning-stubble-under-compulsion-national-human-rights-body-3515253

The commission has asked Haryana, Punjab and governments of two other states to furnish details of steps taken to check stubble burning

Farmers of Haryana, Punjab, Delhi and Uttar Pradesh are 'forced' to burn stubble as the state governments have failed to provide adequate machines and implement measures to help them, the National Human Rights Commission (NHRC) has said.

The human rights watchdog in a statement said that chief secretaries of the four states were heard on November 10 after the commission took suo motu cognisance of unabated air pollution in Delhi and the national capital region.

"The state governments have to provide harvest machines to get rid of stubble but they have failed to provide adequate number of machines and other measures. As a result, farmers are forced to burn the stubbles, causing pollution,'' the commission said after considering the responses of the concerned states and the Delhi government.

It further said that none of the states can blame the farmers for stubble burning. Instead, it is due to the failure of all the four state governments that the stubble burning is happening in Delhi, Punjab, Haryana, and UP, causing enormous pollutants in the air.

The commission has asked the concerned chief secretaries to remain present again, either in person or hybrid mode, on November 18 for the next hearing in the matter and submit their response within four days positively on the points raised by the commission.

The commission has asked the Haryana government about the details of area covered for bio-degrading and number of hotspots identified in the villages, steps taken to stop construction activities and details of challans.

The NHRC has asked the Punjab government to inform reason for the shortfall in the purchase of the crop residue management machines, number of machines reserved for panchayats and cooperatives and poor farmers. It has also sought details of bio-decomposers used and date-wise fire incidents from last year till date.

The NHRC has asked the Delhi government to apprise about the steps taken to control open burning.

"Out of 5,000 acres of farmland in Delhi, bio-decomposer was sprinkled free of cost by the Delhi government in 2368.5 acres of paddy growing area only till November 7. Reasons for not sprinkling it in the remaining area and by what time the same will be achieved be also furnished," the NHRC has asked.

Delhi-NCR pollution | Stubble burning happening due to failure of 4 State governments, says NHRC

https://www.thehindu.com/news/cities/Delhi/delhi-ncr-pollution-stubble-burning-happening-due-to-failure-of-delhi-punjab-up-haryana-state-governments-says-nhrc/article66128697.ece

"It is due to the failure of all four State Governments that the stubble burning is happening in the States of Delhi, Punjab, Haryana, and U.P., causing enormous pollutants in the air," the NHRC said

After hearing the responses of the Chief Secretaries of Delhi and three neighbouring States on the pollution issue, the NHRC on Saturday said farmers are burning stubble "under compulsion" and it is due to the "failure" of the four State governments that stubble burning is happening.

Alarmed over the rise in pollution in Delhi-NCR, the National Human Rights Commission (NHRC) had recently asked the Chief Secretaries of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Delhi to appear before it on November 10 to discuss the matter.

The Commission, after considering the responses of the States concerned and the government of Delhi, and the deliberations thereon, is of the opinion that the "farmers are burning stubble under compulsion," the NHRC said in a statement on Saturday.

"The State governments have to provide harvest machines to get rid of those stubble, but they have failed to provide an adequate number of requisite machines and other measures; as a result, farmers are forced to burn the stubble, causing pollution.

"Therefore, none of the States can blame the farmers for stubble burning; instead, it is due to the failure of all four State Governments that the stubble burning is happening in the States of Delhi, Punjab, Haryana, and U.P., causing enormous pollutants in the air," it said.

Flourish logoA Flourish chart

The Commission has asked the Chief Secretaries concerned to remain present again either in person or hybrid mode on November 18 for the next hearing on the matter, and submit prior to this, their response or affidavits "within four days positively" on the points raised by it, among others, during the deliberations and considerations of their responses, the statement said.

TRIBUNE, Online, 13.11.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Can't blame farmers for field fires, states responsible: NHRC

https://www.tribuneindia.com/news/nation/cant-blame-farmers-for-field-fires-states-responsible-nhrc-450350

Punjab, Haryana, Delhi, UP Chief Secretaries asked to appear on Nov 18

The National Human Rights Commission (NHRC) has asked the Chief Secretaries of Punjab, Haryana, Delhi and Uttar Pradesh to appear before it on November 18 in connection with unabated air pollution in the Delhi-NCR.

The NHRC, in a communique, said that it heard the response of the Chief Secretaries of Delhi and the three neighbouring states on November 10 and had again asked them to appear before it on November 18.

The commission had on Thursday said the farmers were burning stubble “under compulsion” and it was due to the “failure” of the four state governments that farm fires were happening. It said the state governments had to provide farmers harvest machines to get rid of stubble. “The governments have failed to provide an adequate number of machines and adopt other measures. Consequently, farmers are forced to burn stubble, leading to pollution,” it said.

The NHRC said none of the states could, therefore, blame the farmers for stubble-burning. “Instead, it is due to the failure of all four state governments that the stubble-burning is happening in Delhi, Punjab, Haryana and UP, causing enormous air pollution,” it said.

During the hearing, the Delhi Government informed the commission that of the 5,000 acres of farmland in its territory, bio-decomposer was sprinkled free of cost on about 2,368 acres where paddy was grown till October 11. It provided details of mobile and static anti-smog guns deployed on various roads and on high-rise buildings. The Haryana Government listed the hotspots identified in villages and the steps taken to remove these. Also, it informed about the steps taken for stopping construction activities.

Stubble burning: NHRC pulls up Delhi, UP, Haryana, Punjab govt for not providing requisite machines to farmers

https://economictimes.indiatimes.com/news/india/stubble-burning-nhrc-pulls-up-delhi-up-haryana-punjab-govt-for-not-providing-requisite-machines-to-farmers/videoshow/95477038.cms

https://www.devdiscourse.com/article/Newsalert/2248762-farmers-cant-be-blamed-due-to-failure-of-four-state-govts-stubble-burning-is-happening-nhrc-on-air-pollution-in-ncr

After hearing the responses of the chief secretaries of Delhi and three neighbouring states on the pollution issue, the NHRC on Saturday said farmers are burning stubble "under compulsion" and it is due to the "failure" of the four state governments that stubble burning is happening.

DEVDISCOURSE, Online, 13.11.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Farmers can't be blamed, due to failure of four state govts stubble burning is happening: NHRC on air pollution in NCR.

https://www.devdiscourse.com/article/Newsalert/2248762-farmers-cant-be-blamed-due-to-failure-of-four-state-govts-stubble-burning-is-happening-nhrc-on-air-pollution-in-ncr

Farmers can't be blamed, due to failure of four state govts stubble burning is happening: NHRC on air pollution in NCR.

NHRC says farmers can't be blamed for stubble burning, holds 4 state governments responsible

https://www.opindia.com/2022/11/nhrc-holds-state-governments-responsible-stubble-burning-farmers/

NHRC heard the Chief Secretaries of Delhi, Haryana, Punjab, and Uttar Pradesh on 10th November 2022 after taking suo moto cognizance of unabated air pollution in Delhi-NCR.

On 12th November 2022, the National Human Rights Commission (NHRC) held four North Indian states responsible for the continued stubble burning that causes severe air pollution in northern India. NHRC heard the Chief Secretaries of Delhi, Haryana, Punjab, and Uttar Pradesh on 10th November 2022 after taking suo moto cognizance of unabated air pollution in Delhi-NCR. After considering the responses of the concerned States and the Government of NCT of Delhi, and the deliberations thereon, the NHRC opined that the farmers are compelled to burn the stubble.

A press release published by the NHRC stated, "The State Governments have to provide harvest machines to get rid of those stubbles but they have failed to provide an adequate number of requisite machines and other measures; as a result, farmers are forced to burn the stubble, causing pollution. Therefore, none of the states can blame the farmers for stubble burning; instead, it is due to the failure of all four State Governments that the stubble burning is happening in the states of Delhi, Punjab, Haryana, and UP causing enormous pollutants in the air."

The Commission has ordered that the concerned Chief Secretaries attend the subsequent proceedings in the matter on November 18, 2022, either in person or via hybrid mode. They are also required to submit their answers or affidavits in advance, within four days, that positively address the issues raised by the Commission.

The Commission has raised different issues with different states and expects answers on those in the next hearing from the state representatives. Further, the Commission has requested reports on a number of common issues from the concerned states and the Government of the National Capital Territory of Delhi within four weeks. The questions raised by NHRC include the status of assistance to farmers for in-situ management of crop residue using machines and other methods; preventing stubble burning; use of mobile and stationary anti-smog guns; dust management through water sprinklers; mechanical road sweeper machines; vehicular pollution; management of construction; and demolition.

NHRC seeks ATR from Energy Secy

https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/nhrc-seeks-atr-from-energy-secy.html

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought Action-Taken Reports (ATRs) from the Odisha Energy Department Secretary over the electrocution of three tribal women of Keonjhar district.

The NHRC passed the direction taking cognisance of a petition filed by rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy. The commission asked the authorities to submit the ATRs within six weeks.

Tripathy in his petition stated that on October22, 2022, three women, Kathi Juanga (62), her daughter-in-law Nirodhi Juanga (45) and Menjari Juanga (30), came in contact with a snapped electric wire in a jungle near their village Tangiri Juangsahi in the Telkoi area when they had gone to graze their goats.

Tripathy has alleged that the incident occurred because of the negligence of the Energy Department. He requested the commission for an impartial inquiry of the mishap, action against errant officials for prevention of such incidents in future and payment of compensation to the family members of the deceased women.

NEHRO lodges complaint with NHRC over lack of health facilities in K/Kumey

https://arunachaltimes.in/index.php/2022/11/13/nehro-lodges-complaint-with-nhrc-over-lack-of-health-facilities-in-k-kumey/

ITANAGAR, 12 Nov: The North East Human Rights Organisation (NEHRO) has lodged a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC) over lack of proper healthcare facilities in Kurung Kumey district.

The complaint has been filed by the NEHRO's state affairs secretary Buteng Tayeng.

In his complaint letter, Tayeng alleged that the people of Kurung Kumey district have been facing acute shortage of doctors, child specialists and other specialists. The complainant further said that the patients are suffering due to unavailability of medical equipment in the hospitals in the district.

The NHRC has registered the case (Diary No 18369/IN/2022 Case/File No 57/2/16/2022) and has directed the Arunachal Pradesh chief secretary to look into the complaint and submit an action taken report within four weeks.

Cough Syrup Deaths: SC Dismisses J&K's Plea Against NHRC Order on Compensation

https://thewire.in/law/cough-syrup-death-sc-dismiss-jk-plea

A bench of Justices M.R. Shah and M.M. Sundresh said officers were found to be negligent and it does not find any reason to interfere in the matter.

New Delhi: The Supreme Court on Friday dismissed an appeal filed by the Jammu and Kashmir administration against an order of the National Human Rights Commission (NHRC) to pay compensation of Rs 3 lakh each to the kin of 10 children who died in Udhampur district due to the consumption of spurious cough syrup.

A bench of Justices M.R. Shah and M.M. Sundresh said officers were found to be negligent and it does not find any reason to interfere in the matter.

"Your officers are found to be negligent. They ought to have been vigilant. Don't compel us to say things about food and industry department. The health of citizens is in their hands. They don't perform duties at all. They can't play with the lives of citizens. It is their duty to check and verify things," the bench observed.

The top court was hearing a plea filed by the Jammu and Kashmir administration challenging the March 3, 2021, order of the high court which had dismissed its plea against the NHRC order.

Ten children died in Ramnagar tehsil of Udhampur in December 2019 and January 2020 due to the consumption of spurious cough syrup.

The NHRC found procedural lapses on the part of the Drugs Department.

The Commission held Jammu and Kashmir vicariously liable for the lapses on part of the department and recommended compensation of Rs 3 lakh each to the next of kin of the deceased.

NHRC seeks report on electrocution death of three tribal women in Odisha

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-seeks-report-on-electrocution-death-of-three-tribal-women-in-odisha/articleshow/95475718.cms?from=mdr

BHUBANESWAR: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought an action taken report from energy department secretary over the incident of electrocution death of three women from the particularly vulnerable tribal groups (PVTGs) from Keonjhar district on October 22.

The Commission issued this direction on Friday after hearing a petition filed by rights activist and lawyer Radhakanta Tripathy last month. It has sought for an action taken report from the authorities within six weeks.

The incident had occurred on October 22 when the trio came in contact with snapped live wire. Three women were Kathi Juanga, 62, her daughter-in-law Nirodhi Juanga, 45, and Menjari Juanga, 30, of Tangiri Juangasahi under Telkoi police station in Keonjhar district. They belong to the Juanga tribe.

The petitioner said this incident occurred when they were inside a jungle near their own village to graze their goats. “The live wires were dangling dangerously in the air after somebody illegally took power from the mainline for irrigation purposes. Had the energy department taken care of electric wires earlier, this fatal incident could have been averted,” he added.

He has requested the Commission for rehabilitation of the deceased’s family members. He also urged the rights panel for free, fair and impartial enquiry of the incident and actions against errant officials.

Tripathy prayed before the commission to order the concerned authorities for providing compensation to the next of kin of the deceased women and recommendation of exemplary action plans to check such fatal incidents in future.

Dalit rights issues: Multi-edition Odia dailies a hope

https://www.dailypioneer.com/2022/state-editions/dalit-rights-issues--multi-edition-odia-dailies-a-hope.html

It has been argued that decentralisation of media has been successful in covering grassroots issues and bringing them to limelight. Due to more illiteracy and poverty among the marginalised communities, the use of print media is less. On the other hand, the traditional media is not much used in mainstream societies. So, there is a chance to bypass Dalit issues in different media in different ways.

Most of the times such grassroots media coverage focuses on the functions, festivals and other secondary aspects of the local news instead of the issues concerned with the local communities and specifically of the deprived and marginalised people. Once the issues are politicised, they are getting more space and coverage afterwards.

Instead of finding out the roots of failure of various plans and programmes of the Government, news items give the general idea of 'corruption hinders development'. As an important part of democratic society, media has to channelize the human rights issues and development news in a proper way. Out of many dimensions of human rights, Dalit human right is considered as one of the important aspects. As the Dalit communities were historically deprived of their basic rights, the constitutional experts formulated many mandates and provisions in the Constitution for the protection and promotion of their rights. Despite being a signatory to the United Nations Declaration on Human Rights 1948, India took forty five years to establish National Human Rights Commission (NHRC). Prior to that for the marginalised people, the National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Commission was established by 65th Constitution amendment Act 1990. By looking at the sensitivity of scheduled caste and tribes issues, the commission was divided into two separate commissions in the year 2004, upon implementation of the provision of the Constitution (89th) Amendment Act 2003. Only declarations, constitutional mandates and formation of commissions will be rhetoric for the empowerment of Dalits until and unless it is reflected in both paper and action.

Media as the eye opener of a functional democracy plays an important role in describing violations of Dalit rights in different ways at different levels. The different redressal mechanisms for such violations, development of self and community consciousness about atrocities on Dalits are also in other dimension. It is clear that most of the media houses are owned by businessmen and politicians who generally belong to upper castes. So it puts so many questions before the human rights activists and organisations regarding their capacity to handle such types of issues in a proper manner. In this connection if we will compare the national dailies with vernacular dailies regarding their capacity to address the Dalit rights issues, it will be more appropriate to choose the latter one. Due to decentralisation of editions, increasing literacy rate, grassroots touch from language and from coverage point of view, the vernacular dailies have expanded their circulations. While reflecting the human rights issues the newspapers do not follow the same principles. One Sub Inspector of Police of Dhauli Police station in Bhubaneswar was suspended for brutally beating a Dalit. It

was covered in the local editions only. Some of the news get space in front page in one news paper whereas in others it may not get the same importance and space. The political news got more attention than the social issues particularly of the Dalits. Some of the human rights issues are generic like child labour, migrated casual labourers and trafficking problem connected with the marginal communities. Most of such issues are published in the forms of story/ essay/ feature which are unable to provide factual data. There are instances where the concerned departments take actions once they are published in the form of news. In this context humanization of issues are important instead of making them sensational. The meetings, trainings and workshops are mostly organised by different civil societies for the empowerment of the marginalised. Such stories are published in the news format highlighting the place, time, the resource persons and their speeches instead the objectives and outcomes of such programmes. So the promotion and protection of Dalit rights through different awareness programmes do not fulfill the desired objectives or reach the target audience.

The initiatives to promote citizen journalists have been started by most of the newspapers. However, the publication of citizen journalists’ news is very limited and most of them focus on development news items instead of any specific rights. There are special pages for science, culture, women, literature, medicine etc but none of the newspapers publishes a separate page for the promotion and protection of the human rights and specifically Dalit rights.

Dalit rights leaders and organisations were lobbying with the Government to take appropriate actions against the violators of rights on the basis of reported news. In Narsinghpur area of Cuttack district, a person was publicly tonsured and fined Rs 10,000 for taking food with a Dalit family. This issue was sorted out by the intervention of both concerned authorities and activists. However, such an incident didn't find much coverage as it should.

NHRC अवार्ड से असहमत होने का विकल्प किसी भी राज्य के पास उपलब्ध नहीं: HC

https://jantaserishta.com/local/tamil-nadu/option-to-disagree-with-nhrc-award-not-available-to-any-state-hc-1742729

CHENNAI: मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग राज्य सरकारों को एक पुरस्कार दे रहा है, तो राज्यों के पास NHRC के पुरस्कार से असहमत होने का कोई विकल्प नहीं है। "... अब्दुल सथर बनाम तमिलनाडु राज्य में पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर, राज्य के पास अब असहमत होने का विकल्प उपलब्ध नहीं है। न्यायमूर्ति आर सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति के कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने कहा, यह राज्य के लिए या तो आदेशों का पालन करना या चुनौती देना है। न्यायाधीशों ने अधिवक्ता एसके सामी द्वारा दायर एक सुनवाई याचिका पर यह टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार को प्रतिवादी को एनएचआरसी द्वारा दिए गए 15,000 रुपये के मुआवजे का भुगतान करने और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की, जो याचिकाकर्ता को परेशान करने और प्रताड़ित करने में सहायक थे। याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने एनएचआरसी के पुरस्कार का अनुपालन नहीं किया और आयोग को सूचित किया कि वह वर्ष 2014 में आयोग की सिफारिश से सहमत नहीं है।

प्रस्तुतियाँ दर्ज करते हुए, पीठ ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्य सचिव एकमात्र प्रतिवादी हैं और उन्हें NHRC के आदेशों के अनुपालन पर कॉल करने की आवश्यकता है। जजों ने सीएस को 15 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसने 2008 में चेन्नई के लॉ कॉलेज में एक झड़प के दौरान अधिवक्ताओं और कानून के छात्रों को परेशान करने के लिए कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एनएचआरसी का दरवाजा खटखटाया था।

चूंकि सैमी की हरकत से पुलिस भड़क गई, इसलिए उन्होंने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और हिरासत में उसे प्रताड़ित किया। इसलिए, उन्होंने एनएचआरसी के साथ एक और शिकायत दर्ज की और आयोग ने मुख्य सचिव को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

रेड लाइट एरिया से निकल कर NHRC की सदस्य बनीं नसीमा खातून

https://jantaserishta.com/local/bihar/naseema-khatoon-became-a-member-of-nhrc-after-leaving-the-red-light-area-1742697

पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर की नासीमा खातून लड़कियों के लिए मिशाल बनकर उभरी है। नसीमा देश की सर्वोच्च न्यायिक संगठन मानव अधिकार आयोग की ओर से मानवाधिकार रक्षकों और गैर सरकारी संगठनों पर NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) के सलाहकार कोर ग्रुप की मेंबर के रूप में चुनी गई हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सलाहकार कोर ग्रुप कि सदस्य की सूची जारी की गई है। उसमें वंचित समाज से आने वाली परचम संगठन की सचिव नसीमा खातून को भी नॉमिनेट किया गया है। इसके बाद से देश के कोने-कोने के रेड लाइट एरिया में खुशी की लहर दौड़ गई है। सभी अपनी खुशी मिठाईयां बांट कर व्यक्त कर रहे हैं। रेड लाइट की लड़कियों के अधिकार के लिए लगातार कर रही हैं काम नसीमा ने कहा कि वंचित समाज के हक और अधिकार की लड़ाई अब आगे बढ़ रही है। अपने समाज के सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद और साथियों के प्यार और कामना से बड़ी जवाबदेही राष्ट्रीय स्तर पर मिली है। देश की सर्वोच्च न्यायिक संगठन मानव अधिकार आयोग की ओर से मानवाधिकार रक्षकों और गैर सरकारी संगठनों पर NHRC के सलाहकार कोर ग्रुप कि सदस्य के रुप में शामिल होने का मौका दिया गया है। इस मौके का वह भरपूर फायदा उठाएंगी और रेड लाइट की बेटियों के हक के लिए आवाज उठाएंगी। उनके जीवन को बेहतर करने के लिए उनके अधिकार के लिए वह काम कर रही है और आगे भी करती रहेंगी।

लोगों को हक के लिए कर रही हैं जागरूक बिहार के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के 38 जिलों में रेड लाइट एरिया है। कहीं बड़े तो कहीं छोटे रूप में। वह रेड लाइट एरिया की बेटी है। यहां जन्म ली पढी और पिछले दो दशक से रेड लाइट एरिया के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिलाने, यहां की बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए पहल कर रही है। इसी कड़ी में वह परचम संगठन के माध्यम से जगह-जगह पर जागरुकता अभियान कर लोगों को शिक्षा और अपने अधिकार के प्रति जागरूक कर रही है।

मुजफ्फरपुर रेड लाइट एरिया में बीता बचपन नसीमा खातून का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के चतुर्भुज स्थान के पास रेड लाइट एरिया में हुआ। वो वहीं पली-बढ़ी हैं। नसीमा ने रेड लाइट एरिया में गरीबी, शिक्षा का अभाव पुलिस के छापे और सबकुछ को देखा है। जिसका शायद कोई समान्य लड़की कल्पना तक न कर सकें। उन्होंने 1995 में आईएएस अधिकारी राजबाला वर्मा ने यौनकर्मियों और उनके परिवारों के लिए एक कार्यक्रम चलाया था। जिसके उन्होंने अपने जीवन को बेहतर करने के लिए दाखिला लिया। यहां वे काम करके 500 रुपये प्रतिमाह तक कामने लगी। इसके बाद नसीमा ने एक एनजीओ के जरिये अपनी बुनियादी शिक्षा मुंबई में जाकर पूरी की।

NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION
DAINIK JAGRAN, Ghaziabad, 13.11.2022
Page No. 4, Size:(9.70)cms X (8.55)cms.

पराली जलने के लिए किसान नहीं, राज्य जिम्मेदार : एनएचआरसी

हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से खास बिंदुओं पर मांगा जवाब

- मानवाधिकार आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों को 18 को तलब किया
- कहा-निजात दिलाने के लिए फसलों की कटाई मशीन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मानना है कि पराली जलाए जाने का सिलसिला समाप्त न हो पाने के लिए किसानों के बजाय राज्य जिम्मेदार हैं, जो उन्हें इससे निजात दिलाने के लिए फसलों की कटाई मशीन उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। आयोग ने दिल्ली-एनसीआर में कई दिनों से छाई धुंध की चादर का स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों से जवाब तलब किया था। आयोग ने इन राज्यों और दिल्ली सरकार के जवाब पर विचार करने के बाद यह राय व्यक्त की कि किसान मजबूरी में पराली जला रहे हैं। उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और इन राज्यों की नाकामी के चलते दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने का सिलसिला जारी है।

आयोग ने संबंधित मुख्य सचिवों को 18 नवंबर को मामले की फिर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत रूप से या हाइब्रिड मोड के जरिये उपस्थित रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही उनसे चार दिनों के भीतर कुछ और बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आयोग ने दिल्ली सरकार से पूछा है कि पांच हजार एकड़ कृषि भूमि में सात नवंबर तक केवल 2,368.5 एकड़ में ही बायो डिकंपोजर का छिड़काव क्यों किया जा सका? शेष कृषि भूमि में बायो डिकंपोजर के छिड़काव में कितना समय लगेगा। आयोग ने मेकेनिकल रोड, स्वीपर मशीन और एंटी स्माग गन के इस्तेमाल का ब्योरा भी मांगा है। आयोग ने यह भी पूछा है कि मेडिकल वेस्ट कैसे एकत्र किया जाता है और जो अस्पताल इस तरह का कचरा खुले में फेंक रहे हैं उन पर क्या एक्शन लिया गया।

आयोग ने पंजाब सरकार से पूछा है कि जितनी सीआरएम मशीनों की खरीद को मंजूरी दी गई थी उतनी क्यों नहीं खरीदी जा सकी हैं। इसी तरह हरियाणा सरकार से भी पूछा गया है कि बायो डिग्रेडिंग के लिए कितना एरिया कवर किया गया और गांवों में कितने हाट स्पाट बनाए गए हैं। वायु प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निस्तारण के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने क्या किया। वहीं, उत्तर प्रदेश से किसानों के बीच बांटी गई मशीनों के विवरण जैसे कुछ सवाल पूछे गए।

राज्यों की विफलता >> संपादकीय